

मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी M.P. STATE HAJ COMMITTEE मध्य प्रदेश शासन

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in
Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139, FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2022/ 319

DATE: 08/12/2021

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषय:-हज-2022. हज यात्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स चयन करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञापित भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने का कष्ट करें।


प्रेस विज्ञापित

हज कमेटी ऑफ इण्डिया के निर्णय एवं निर्देशानुसार हज-2022 के हज यात्रियों को हज संबंधी प्रशिक्षण देने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के लिए ट्रेनर्स का चयन किया जाना है। इच्छुक आवेदकों हेतु अनिवार्यताएं:-ऐसे आवेदक जिन्होंने हज-2017, हज-2018 एवं हज-2019 में हज किये हो, अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना, स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा का सम्पूर्ण ज्ञान होना, हज एवं उमरा का ज्ञान होना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना, भारी समूह को संबोधित करने एवं भाषण देने योग्य होना, कम्प्यूटर से संबंधित पूर्ण ज्ञान होना/दूरसंचार/ईमेल के मैसेज/WhatsApp और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त जानकारी का ज्ञान होना, धार्मिक रीतियों की जानकारी रखते हों, पुरुष/महिला आवेदकों की आयु दिनांक 31-12-2021 की स्थिति में 25 वर्ष से कम एवं 58 वर्ष से अधिक न हो ऐसे आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे, आवेदक हज संबंधी ट्रेनिंग कार्यक्रमों के लिए समय दे सकता हो, इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में दर्ज न हो, कोविड-19 के दोनों डोजों का वेक्सीनेशन आवश्यक रूप से लगा हुआ होना चाहिए। असिस्टेन्ट हज आफीसर, हज असिस्टेन्ट, मेडीकल आफीसर एवं खादिमुल हुज्जाज हज संबंधी समस्त प्रकार का अनुभव हो को प्राथमिकता दी जावेगी।

चयनित आवेदकों को हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रदान की जावेगी जिसके पश्चात चयनित ट्रेनर्स को जिला स्तर पर हज यात्रियों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना होगा।

इच्छुक आवेदक जो चयन की अहर्ताएं पूर्ण करते हों वह हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर दिनांक 08-12-2021 दोपहर 2.00 बजे से दिनांक 20-12-2021 रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपूर्ण एवं अपात्र आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त होने की सूचना नहीं दी जावेगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदकों के आवेदन प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे।

हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर परिपत्र क्रमांक 3 (हज-2022) का पूर्णतः अवलोकन करने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के दूरभाष क्रमांक 0755-2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता है।


(यासिर अराफात)
प्रभारी सचिव

मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी